सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **103/2018** दायर दिनाँक **02.04.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगेजसिंह जायन्दापुत्र अजमलसिंह गोदपुत्र जसवंतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. उम्मेदकँवर पत्नी भँवरसिंह, 2. रणजीतसिंह पुत्र बहादुरसिंह, 3. अजमलसिंह पुत्र बहादुरसिंह, 4. हवाकँवर पत्नी समन्दरसिंह, 5. मांगूसिंह पुत्र नारायणसिंह, 6. बोदुसिंह पुत्र नारायणसिंह, 7. खींवसिंह पुत्र गुलाबसिंह, 8. सोहनकँवर पुत्री गुलाबसिंह, 9. चाँदकँवर पुत्री गुलाबसिंह, 10. किसनकँवर पुत्री गुलाबसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बरांगना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 08.02 बीघा कुल रकबा 15.19 बीघा वाकै शरहद बरांगना में अवस्थित है।

उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान् संयुक्त खातेदारी के खेत है जिन पर वर्तमान में वादी का ही कब्जाकाश्त है। वादी अजमलसिंह का

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

जायन्दापुत्र है जो कि जसवंतसिंह के गोद चला गया है जिससे वादी का नाम मंगेजसिंह जायन्दापुत्र अजमलसिंह गोदपुत्र जसवंतसिंह हो गया है।

वादग्रस्त भूमि में वादी का अकेले का ही कब्जाकाश्त है। वर्तमान खातेदार रसालकँवर व मोहनकँवर लाऔलाद ही फौत हो चुके हैं। प्रार्थना वादी है कि,

शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 08.02 बीघा, कुल रकबा 15.19 बीघा सम्पूर्ण की खातेदारी वादी अकेले के नाम से दर्ज की जाकर खातेदारी में मंगेजसिंह जायन्दापुत्र अजमलसिंह गोदपुत्र जसवंतसिंह दर्ज किया जावे। वादी के हक में बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम बरांगना सम्वत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**बरांगना** में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। वादी दावानुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पक्षकारान् ने इकबालिया जवाब पेश कर रखा है। वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति पेश नहीं है। पत्रावली पर उपलबध अभिलेख का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद वादी में, प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब पेश होने से व किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं होने से वाद वादी साबित होता है, अतएव वाद वादी दावानुसार डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 103/2018
दायर दिनाँक 02.04.2018, निर्णय दिनाँक 25.05.2018
मंगेजसिंह बनाम् उम्मेदकँवर, वगैरा।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 08.02 बीघा, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

निर्णय, आज दिनाँक **25.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **103/2018** दायर दिनाँक **02.04.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगेजसिंह जायन्दापुत्र अजमलसिंह गोदपुत्र जसवंतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. उम्मेदकँवर पत्नी भँवरसिंह, 2. रणजीतसिंह पुत्र बहादुरसिंह, 3. अजमलसिंह पुत्र बहादुरसिंह, 4. हवाकँवर पत्नी समन्दरसिंह, 5. मांगूसिंह पुत्र नारायणसिंह, 6. बोदुसिंह पुत्र नारायणसिंह, 7. खींवसिंह पुत्र गुलाबसिंह, 8. सोहनकँवर पुत्री गुलाबसिंह, 9. चाँदकँवर पुत्री गुलाबसिंह, 10. किसनकँवर पुत्री गुलाबसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–बरांगना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **25.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद बरांगना में खसरा नम्बर 156 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 06.01 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 08.02 बीघा, के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **25.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

29'

क्रमांकः–103–2018/रीडर/2018/563 दिनाँक 25.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मंगेजसिंह जायन्दापुत्र अजमलसिंह गोदपुत्र जसवंतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. उम्मेदकँवर पत्नी भँवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–बरांगना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

Scanned by CamScanner